


19.09.2025 वाकिल प्रार्थीगण अनुपस्थित। न्यायालय समय की समाप्ति तक पृथक-पृथक समय में वाकिल भय प्रार्थी को आवाजे दिलवाई गई। लेकिन वाकिल व प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। लिहाजा प्रार्थी का वाद अदम पैरवी व अदम हानिरी में खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल रुमर होकर दायित्व दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बजातरा